संख्या– — /XXXVI(1)/2017-316/2017

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 18 दिसम्बर, 2017

विषय– मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में कार्यरत वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिको को छाता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पत्र सं0–4245/UHC-2017/Management दिनांक 03.10.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में कार्यरत वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिको के लिए छाता क्रय करने हेतु धनराशि में वृद्धि का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में कार्यरत वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिको को पूर्व अनुमन्य छाता सुविधा सम्बन्धी शासनादेश सं0–2740/VII-1-10/17–उद्योग/2004 दिनांक 12.01.2011 में नियत दर रू0 110/– प्रति छाता के स्थान पर रू0 270/– प्रति छाता अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3– उक्त पर होने वाला व्यय आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–102–उच्च न्यायालय–03–उच्च न्यायालय–08 –कार्यालय व्यय" के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–07 भरित/XXVII(5)/2017 दिनांक 18.12.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या–366 (1)/XXXVI(1)/2017-316/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3– वित्त अनुभाग–5/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव